P-1 शुन्य करार एवं शुन्य संविदा में अन्तर

Hiravendra Mandal
Parttime Lecturer

Subject- Contract-1
Part -1

शुन्य करार	शुन्य संविदा
① शुन्य करार ऐसा करार होता है जिसे विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है।	① संविदा तब शुन्य होती है जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है।
② शुन्य करार आरम्भ से ही शुन्य (void ab-initio) होते हैं।	② संविदा विधि द्वारा changable नहीं होने पर शुन्य होती है।
③ शुन्य करार के अधीन संदत्त धन को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि वह अवैधानिक करार हो	③ जबकि शुन्य संविदा के अधीन संदत्त धन को वापस प्राप्त किया जा सकता है।
④ शुन्य करारों का उल्लेख अधिनियम की धारा 11, 12, 13, 14, एवं 25 से 30 में किया गया है	④ जबकि संविदा का पालन असंभव हो जाने आदि पर न्यायालय द्वारा ऐसी संविदाओं को शुन्य घोषित किया जाता है।